लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 63 / 2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 21.05.2021
GCMS NO:-2021/201

श्री संजय छाबड़ा पिता स्व. श्री लाल चन्द छाबड़ा निवासी छाबड़ा भवन, रावतभाटा

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 15.06.2021

Web Copy - Not Official

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 05.04.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 63 / 2021 / (15.06) / 409 दिनांक 21.05.2021 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा को दिनांक 15.06.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 15.06.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ और न ही सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा ने उक्त प्रकरण में आ[illegible]क कमेन्ट्स प्रस्तुत किए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:47:58 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 63 / 2021 (सू.अ.)
श्री संजय छाबड़ा निवासी रावतभाटा बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.04.2021 से एक बिन्दु पर सूचना / प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, परन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा की टिप्पणी प्राप्त नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि उनके स्तर पर इस आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

(तारा चन्द मीणा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 63 / 2021(सू.अ.) / 4418 दिनांकः– 15 / 06 / 2021

प्रतिलिपिः–

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, रावतभाटा
2. श्री संजय छाबड़ा पिता स्व. श्री लाल चन्द छाबड़ा निवासी छाबड़ा भवन, हाट चौक, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:47:58 IST
Reason: SelfAttested